न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र धारा 89 संख्या 01/2016
दायर दिनांक : 24.05.2016
आदेश दिनांक : 31.10.2025

श्री रामा पिता लच्छा जी बलाई, उम्र वयस्क पेशा काश्त नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

– प्रार्थीगण

बनाम

(1) मेसर्स जे. पी. मिनरल्स, गुडला, पो. धांयला, तह. नाथद्वारा जरिये –

1. पवन पिता जगदीश जी पुरोहित नि. गुडला. पो. धांयला, तह. नाथद्वारा
2. भैरूसिंह पिता केसरसिंह जी राजपुत नि, कानादेव जी गुडा तह. रासजमन्द

(2) श्री गहरीया पिता लच्छा बलाई नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(3) श्री चन्दा पिता लच्छा बलाई नि. समपोल, तह. व जिला राजसमन्द

(4) श्री हुकमा पिता लच्छा बलाई, नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(5) श्री मांगीलाल मुतबन्ना चुन्ना बलाई लाई नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(6) श्रीमती धापुबाई पत्नि चुन्ना बलाई नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(7) श्री परसराम पिता पेमा बलाई नि सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(8) श्री शम्भुलाल पिता पेमा बलाँई नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(9) बसन्ती पिता पेमा बलाई नि. सापोल, तह. व जिला राजसमन्द

(10) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द

(11) श्रीमान् खनिज अभियन्ता महोदय, खनिज विभाग, राजसमन्द

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :–

श्री डुंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2,3,4,7,8,9
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 10
विपक्षी संख्या 5 व 6 (एकपक्षीय कार्यवाही)
विपक्षी संख्या 11 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सापोल तह. राजसमन्द की आराजी नं. 38 रकबा 6 बीघा का प्रार्थी, विपक्षी नं. 3 से 9 के साथ संयुक्त खातेदार होकर संयुक्त रूप से काबिज है और इस भूमि मे ही प्रार्थी का रिहायसी मकान भी बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी व उसका परिवार रहता है। उक्त भूमि व उसके साथ लगी हुई भूमि में फैल्सपार क्वार्टज खनिज की संभावना होने से विपक्षी नं. 1 के भागीदारो विपक्षी श्री पवन एवं श्री भेरूसिंह ने विपक्षी नं. 11 के पास खनिज निकालने की लीज प्राप्त करने का आवेदन कर लीज प्राप्त करली। और उक्त लीज प्राप्त करने के लिये प्रार्थी व विपक्षी हकमा, गेहरीलाल, कैलाश, चन्दा, चूना, परसराम से दिनांक 01.05.2013 को किन्ही कागजो पर कुछ के अंगुठा निशानीयो व कुछ के हस्ताक्षर करवा लिये। प्रार्थी अनपढ अंगुठा छाप व्यक्ति है उसे यह कहा गया कि उसे प्रति वर्ष उक्त भूमि के उपयोग के बदले में एक निश्चित राशि मुआवजे के तौर पर दी जायगी परन्तु उसे कुछ भी राशि नहीं दी गई। विपक्षी नं. 1 फर्म के उक्त भागीदार उक्त आराजी नं. 38 पर बिना मुआवजा चुकाये खनन कार्य कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। खनन कार्य करने से प्रार्थी की उक्त भूमि बेकार हो गई है व प्रार्थी का अपने मकान में रहना कठिन हो गया है। प्रार्थी के जिस लिखापढ़ी पर अंगुठा निशानी कराई गई है व वेस्ट पेपर है। अपंजिकृत होने से साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं है। प्रतिफल रहित भी है इसलिये उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि में विपक्षी नं. 1 व उसके भागीदारो को खनन कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक विपक्षी संख्या 1 व उसके भागीदार न्यायालय आप से उक्त भूमि के तल अधिकार का मुआवजा तय कराकर प्रार्थी को भुगतान कर दें। विपक्षी नं. 1 के भागीदारो द्वारा प्रार्थी को विपक्षी नं. 2 से 9 तक के हक में एक लिखापढी प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये मुआवजा देने का ईकरार भी किया था परन्तु विपक्षी नं. 1 के भागीदार उक्त ईकरार की भी पालना नहीं कर रहे है और पिछले दो साल से वह भुगतान भी नहीं कर रहे है। विपक्षी नं. 1 व भागीदारो को दिनांक 02.04.2016 को सूचना पत्र भी दिया गया परन्तु उसका भी उन्होने गलत जवाब देकर यह कह दिया कि मकान में प्रार्थी निवास नहीं कर रहा है और खनन कार्य तथा ब्लासटिंग मकान से दूर किया जा रहा है। तथा यह भी लिख दिया कि मुआवजा अदा कर दिया है। जो बिल्कुल गलत कथन लिखा है सबुत मे नोटिस की प्रति, प्राप्ति रसीद व रजिस्ट्री की रसीदे तथा जवाब की प्रतिलिपी पेश है। इन परिस्थितियों में आप द्वारा वादग्रस्त भूमि के तल अधिकारो का मुआवजा तय किया जाना व प्रार्थी व अन्य खातेदारो को नियमीत भुगतान किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। तथा जब तक न्यायालय आप द्वारा मुआवजा तय कर प्रार्थी व अन्य खातेदारो को प्रतिवर्ष भुगतान न कर दिया जावे तब तक वादग्रस्त भूमि से विपक्षीगण व उनके भागीदारो व उनके नौकर एजेन्ट, कर्मचारी को खनन कार्य नहीं करने बाबत् पाबन्द किया जायें। जिसके लिये भी यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का मुआवजा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रतिवर्ष के लिये तय फरमाया जाकर। प्रार्थी व अन्य खातेदारो के अनुपातिक रूप से दिलवाया जाने का आदेश फरमायें। प्रार्थी व अन्य खातेदारों को विपक्षी नं. 1 से जब तक मुआवजा नहीं मिल जावें तब तक खनन कार्य नहीं किया जावें तथा प्रार्थी के मकान के आस–पास 100 फीट की दुरी तक खनन कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें। तथा वाद व्यय, वकील महनताना व अन्य सहायता जो प्रार्थी के पत्र में दी जा सकती हो दिलाई जायें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1,2,3,4,7,8,9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मण्डोवरा उपस्थित। विपक्षी संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 5 व 6 के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 18.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। विपक्षी संख्या 11 अनु0।

विपक्षी संख्या 1,2,3,4,7,8,9 के अधिवक्ता ने दिनांक 19.04.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 जिस प्रकार अंकित है गलत होकर अस्वीकार है। आराजी नम्बर 38 पर न तो प्रार्थी अथवा विपक्षी संख्या 3 से 9 काबिज है तथा न ही उक्त आराजी में कोई मकान बना हुआ है तथा न ही उक्त क्षेत्र में कोई रिहायसी मकान ही स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित लीज प्राप्त करने बाबत् तथ्य स्वीकार है शेष कथन जिस प्रकार अंकित है गलत होकर अस्वीकार है। दिनांक 01.05.2013 को स्वयं प्रार्थी व अन्य खातेदारो ने राजसमन्द में आकर मुआवजे के रूप में निश्चित प्रतीफल प्राप्त कर एक अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र 30 वर्षों के लिये जारी कर उक्त प्रमाण पत्र के जारी रहने तक अन्य कोई राशि प्राप्त नही करने बाबत भी अनापत्ती प्रदान की है अब प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है तथा वह विपक्षी संख्या 1 से अवैध लाभ प्राप्त करना चाहता है जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया है खनन हेतु जारी किये जाने वाले अनापत्ती प्रमाण पत्र का पंजिकृत होना आवश्यक नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर चुके है तथा अब कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 38 के सम्बन्ध में ऐसा कोई ईकरार निष्पादित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 जिस प्रकार अंकित है गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या एक द्वारा कोई गलत जबाव नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 8

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर चुके है तथा अब कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 9 सम्पूर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर चुके है तथा अब कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तथा विपक्षी संख्या को खनन करने से रोकने का कोई औचित्य ही नही है यदी ऐसा किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 के वैध हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 10 एवं 12 कानुनी होकर जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलभ संख्या 11 सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की डी. एल. सी. दर 93000 रू. प्रती बिघा है इस प्रकार सम्पुर्ण आराजी की कुलिया किमत 585900 रू. होती है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहीत है इस प्रकार प्रार्थी के हिस्से का मुल्यांकन 97650 रू. ही होता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का मुल्यांकन गलत किया गया है। शेष प्रार्थना सम्पुर्ण रूप से गलत होकर अस्वीकार है। विशेष जबाव दिनांक 01.05.2013 को स्वयं प्रार्थी व अन्य खातेदारो ने राजसमन्द में आकर मुआवजे के रूप में निश्चीत प्रतीफल प्राप्त कर एक अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र 30 वर्षों के लिये जारी कर उक्त प्रमाण पत्र के जारी रहने तक अन्य कोई राशि प्राप्त नही करने बाबत भी अनापत्ती प्रदान की है अब प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है तथा वह विपक्षी संख्या 1 से अवैध लाभ प्राप्त करना चाहता है जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी उसके द्वारा दिनांक 01.05.2013 को उसके द्वारा निष्पादित अनापत्ती प्रमाण पत्र को किसी प्रकार से गलत मानता है तो भी वह सक्षम सिविल न्यायालय से उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र को निरस्त कराये बिना आप न्यायालय के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी ही नही है तथा वह किसी ईकरार की पालना भी कराना चाहता है तो वह ऐसा अनुतोष भी सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सापोल तह. राजसमन्द की आराजी नं. 38 रकबा 6 बीघा का प्रार्थी, विपक्षी नं. 3 से 9 के साथ संयुक्त खातेदार होकर संयुक्त रूप से काबिज है और इस भूमि मे ही प्रार्थी का रिहायसी मकान भी बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी व उसका परिवार रहता है। उक्त भूमि व उसके साथ लगी हुई भूमि में फैल्सपार क्वार्टज खनिज की संभावना होने से विपक्षी नं. 01 के भागीदारो विपक्षी श्री पवन एवं श्री भेरूसिंह ने विपक्षी नं. 11 के पास खनिज निकालने की लीज प्राप्त करने का आवेदन कर लीज प्राप्त कर ली और उक्त लीज प्राप्त करने के लिये प्रार्थी व विपक्षी हकमा, गेहरीलाल, कैलाश, चन्दा, चूना, परसराम से दिनांक 01.05.2013 को किन्ही कागजो पर कुछ के अंगुठा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निशानीयो व कुछ के हस्ताक्षर करवा लिये। प्रार्थी अनपढ अंगुठा छाप व्यक्ति है उसे यह कहा गया कि उसे प्रति वर्ष उक्त भूमि के उपयोग के बदले में एक निश्चित राशि मुआवजे के तौर पर दी जायगी परन्तु उसे कुछ भी राशि नहीं दी गई। विपक्षी नं. 1 फर्म के उक्त भागीदार उक्त आराजी नं. 38 पर बिना मुआवजा चुकाये खनन कार्य कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। खनन कार्य करने से प्रार्थी की उक्त भूमि बेकार हो गई है व प्रार्थी का अपने मकान में रहना कठिन हो गया है। प्रार्थी के जिस लिखापढ़ी पर अंगुठा निशानी कराई गई है व वेस्ट पेपर है। अपंजिकृत होने से साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं है। प्रतिफल रहित भी है इसलिये उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि में विपक्षी नं. 1 व उसके भागीदारो को खनन कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक विपक्षी संख्या 1 व उसके भागीदार न्यायालय आप से उक्त भूमि के तल अधिकार का मुआवजा तय कराकर प्रार्थी को भुगतान कर दें। विपक्षी नं. 1 के भागीदारो द्वारा प्रार्थी को विपक्षी नं. 2 से 9 तक के हक में एक लिखापढी प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये मुआवजा देने का ईकरार भी किया था परन्तु विपक्षी नं. 1 के भागीदार उक्त ईकरार की भी पालना नहीं कर रहे है और पिछले दो साल से वह भुगतान भी नहीं कर रहे है। विपक्षी नं. 1 व भागीदारो को दिनांक 02.04.2016 को सूचना पत्र भी दिया गया परन्तु उसका भी उन्होने गलत जवाब देकर यह कह दिया कि मकान में प्रार्थी निवास नहीं कर रहा है और खनन कार्य तथा ब्लासटिंग मकान से दूर किया जा रहा है। तथा यह भी लिख दिया कि मुआवजा अदा कर दिया है। जो बिल्कुल गलत कथन लिखा है सबुत मे नोटिस की प्रति, प्राप्ति रसीद व रजिस्ट्री की रसीदे तथा जवाब की प्रतिलिपी पेश है। इन परिस्थितियों में आप द्वारा वादग्रस्त भूमि के तल अधिकारो का मुआवजा तय किया जाना व प्रार्थी व अन्य खातेदारो को नियमीत भुगतान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 1,2,3,4,7,8,9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.05.2013 को स्वयं प्रार्थी व अन्य खातेदारो ने राजसमन्द में आकर मुआवजे के रूप में निश्चित प्रतीफल प्राप्त कर एक अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया तथा उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र 30 वर्षों के लिये जारी कर उक्त प्रमाण पत्र के जारी रहने तक अन्य कोई राशि प्राप्त नही करने बाबत भी अनापत्ती प्रदान की है अब प्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है तथा वह विपक्षी संख्या 1 से अवैध लाभ प्राप्त करना चाहता है जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों ने विपक्षी संख्या 1 से मुआवजे के रूप में निश्चित प्रतिफल प्राप्त कर अनापत्ती प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया है खनन हेतु जारी किये जाने वाले अनापत्ती प्रमाण पत्र का पंजिकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की याचिका अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से सव्यय निरस्त फरमाई जावें। राजकीय अधिवक्ता ने उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती जाहिर नही की।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस पत्रावली में दो इकरारनामे लगे हुए हैं और दोनो ही इकरारनामे दिनांक 01.05.2013 को किये गये है। पहला इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य अप्रार्थीगण के पक्ष में लिखा गया है जिसमें कि प्रार्थी भी शामिल है। इसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को संयुक्त रूप से प्रथम वर्ष में 2,51000 रूपये तथा आगे के लिए 3,00,000 रूपये प्रति वर्ष अदा करना तय हुआ था तथा खनन लीज कराने की सहमति हुई थी। तथा एक अन्य इकरारनामे में जो पत्रावली में संलग्न है। वह भी दिनांक 01.05.2013 को निष्पादित किया गया है। जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। जिसमें कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण को सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाना व भविष्य में कोई भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होना जाहिर हुआ है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने इस इकरारनामे में यह लिख दिया है कि इनके द्वारा समस्त मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है और अब भविष्य में खनन लीज जारी रहने तक कोई भी प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। अतः यहां प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत मुआवजा निर्धारण का नहीं होकर पक्षकारो के बीच में आपसी लेनदेन का प्रकट हुआ है। इसका निस्तारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्पेशिफिक रिलिफ एक्ट के तहत ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)